रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D.L.-33004/92

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
**PART II—Section 3—Sub-Section (ii)**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 540] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 1992/श्रावण 19, 1914
**No. 540] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 1992/SRAVANA 19, 1914**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1992

### अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् में बजट वार्षिक रिपोर्ट और लेखों के नियम

का.आ. 611(अ) :--अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) के खण्ड 22 के उप खण्ड (2) की धारा (ग) और (घ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है, अर्थात् :--

1.0 लघु शीर्षक और प्रारंभ :

1.1 इन नियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (बजट, वार्षिक रिपोर्ट और लेखे) नियमावली, 1992 कहा जाए।

1.2 ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2.0 परिभाषाएं :

2.1 इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो "वित्तीय वर्ष" का अर्थ है। अप्रैल से प्रारम्भ होने वाला वर्ष और अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष।

2.2 इस प्रकार के सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जिनका इन नियमों में प्रयोग किया गया है लेकिन इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, यद्यपि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 में परिभाषित किया गया है उनका वही अर्थ होता जो उन्हीं के लिये क्रमशः उस अधिनियम में दिया गया है।

3.0 बजट :

3.1 बजट परिषद, प्रत्येक वर्ष के 15 सितम्बर से पूर्व आगामी वर्ष का बजट तैयार करेगी जिसमें अनुमानित प्राप्ति और खर्चों का ब्यौरा और उसमें उस वर्ष की प्रत्याशित आदि और अंत की बकाया राशियों को भी दर्शाया जाएगा।

3.2 बजट, परिशिष्ट-1 में निर्दिष्ट किये गये प्रपत्र के अनुसार तैयार किए जायेगा और इसकी पांच प्रतियां केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित तारीख से पहले केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी।

3.3 बजट की एक प्रति संबंधित लेखा परीक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।

4.0 वार्षिक रिपोर्ट :

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान परिषद के कार्यकलापों के सही और पूर्ण लेखे देते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी और उसकी प्रतियां, आगामी वर्ष, जिससे यह संबंधित है, के 31 दिसम्बर, से पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेजी जायेंगी। रिपोर्ट में भारत के तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में परिषद् यदि कोई सुझाव देना चाहती है, उसे शामिल किया जा सकता है।

5.0 लेखे :

5.1 परिषद्, समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित संबंधित प्रपत्रों के परिशिष्ट-2 में निर्दिष्ट लेखा पुस्तकों और रजिस्टरों में रखेगी।

5.2 परिषद वर्ष के लेखों की समाप्ति के बाद परिशिष्ट-3 में निर्धारित प्रपत्रों में (1) पावती और भुगतान लेखे (2) आय और व्यय विवरण, और (3) तुलन पत्र के रूप में वार्षिक लेखे तैयार करेगी और ये आगामी वर्ष के 30 जून से पहले नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक या उसकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भेजे जाएंगे।

[सं. एफ. 1-18/88-टी. 5(टी.डी.-1)]

एस.डी. आवले, संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तक.)

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Deptt. of Education)

### NOTIFICATION

New Delhi, 10th August, 1992

### RULES FOR BUDGET ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS IN THE AICTE

S.O. 611(E).—In exercise of the powers conferred by clause (s) and (d) of Sub-section (2) of Section 22 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1.0. Short title and commencement :

1.1 These rules may be called the All India Council for Technical Education (Budget, Annual Report and Accounts) Rules, 1992.

1.2 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

20 Definitions :

2.1 In these rules, unless the context otherwise requires, "financial year" means the year beginning from the 1st of April and ending on the 31st of March of the following calendar year.

2.2 All such words and expressions used in these rules but not defined herein though defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3.0 Budget :

3.1 The Council shall, not later than the 15th of September, each year, prepare the budget for the following year showing the details of the estimated receipts and expenditures and also the anticipated opening and closing balances for that year.

3.2 The budget shall be prepared in the form set out in Appendix-I and five copies thereof shall be forwarded to the Central Government before the date as may be prescribed by the Central Government from time to time.

3.3 A copy of the budget shall be forwarded to the Audit Officer concerned.

4.0 Annual Report :

The annual report giving the true and full accounts of the activities of the Council during the previous financial year shall be prepared and copies thereof shall be forwarded to the Central Government not later than the 31st of December following the year to which it relates. The report may also contain suggestions, if any, relating to technical education in technical institutes and Universities in India as the Council may deem to make.

5.0 Accounts :

5.1 The Council shall cause to be maintained the books of accounts and the registers specified in Appendix-II in the respective forms set out therein, as amended from time to time.

5.2 The annual accounts for each financial year shall be prepared by the Council in the form of (i) Receipt and Payments accounts, (ii) Income and Expenditure statement, and (iii) Balance Sheet in the forms specified in Appendix-III after closing of the accounts for the year and shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General or any person appointed by him in this behalf not later than the 30th of June of the following year.

[No. F. 1-18|88-T-5(TD-I)]

S. D AWALE, Jt. Educational Adviser (T)